संख्या 770/III(2)/17-20(सामान्य)/2011 टी0सी01

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 12 जून, 2017

विषय- **लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड में निर्माण कार्यों में विभागीय दरों से कम दरों पर प्राप्त निविदा स्वीकार करने से पूर्व अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी (Additional Performance Security) के निर्धारण किये जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-410/24/16 दिनांक 07.04.2016 एवं पत्र संख्या- 183/164सा0प्र0/2017 दिनांक 10.02.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिनके माध्यम से शासनादेश संख्या-6447/III (2)/11-20(सामान्य)/2011 दिनांक 02 जनवरी, 2013 द्वारा लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड में निर्माण कार्यों में विभागीय दरों से कम दरों पर प्राप्त निविदा स्वीकार करने से पूर्व अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी (Additional Performance Security) के निर्धारण हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया में उल्लिखित कतिपय प्राविधानों के कियान्वयन के उपरान्त लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खण्डों एवं वृत्तों से इन प्राविधानों को तर्क संगत एवं न्यायोचित नहीं पाये जाने के फलस्वरूप संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-6447/III(2)/ 11- 20(सामान्य)/2011 दिनांक 02 जनवरी, 2013 के **प्रस्तर-(अ) परफारमेन्स सिक्योरिटी (Performance Security) के भाग (ii) Item Rate Contracts** के माध्यम से निर्धारित अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी (Additional Performance Security) का पुनर्निर्धारण तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(ii) Item rate contracts: The performance security shall be provided by the contractor to the Employer not later than the date specified in the letter of acceptance and shall be issued for an amount of 5% of the contract price in the form acceptable to the employer from reputable local banks including scheduled banks or nationalized banks acceptable to the employer. The performance security shall be valid until the date of issuance of completion certificate. The employer may increase the performance security to a level sufficient to the protect it against the possibility of financial loss, if the lowest evaluated bid is unbalanced. The amount of additional performance security shall be worked out as follows:

(i) No additional performance security for items up to 5% below the estimated item rates.

(ii) From 5% below to 15% below the estimated rate, an additional performance security of 0.50% of the estimated cost of the item for every 1% below the estimated rate.

(iii) For more than 15% below the estimated rate, an additional performance security of 1% of the estimated cost of the item for every 1% below the estimated cost.

क्रमशः.........2 पर

3. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या–6447 / III(2) / 11–20(सामान्य) / 2011 दिनांक 02 जनवरी, 2013 के प्रस्तर (ब) सिक्योरिटी डिपोजिट (Security Deposit/Retention Money) में निर्धारित प्राविधान को शासनादेश संख्या–1426 / III(2) / 11–20(सामान्य) / 2011 दिनांक 28 फरवरी, 2013 के माध्यम से यथासंशोधित किया जा चुका है। अतः सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 02 जनवरी, 2013 को विगत में किये गये संशोधन एवं उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

4. **यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–216 / XXVII/(2)/2017 दिनांक 06 जून, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

Om Prakash

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– / III(2) / 17–20(सामान्य) / 2011 टी0सी01 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार(लेखा प्रथम) / ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. आयुक्त गढवाल / कुमॉयू मण्डल, पौडी / नैनीताल।
4. उत्तराखण्ड के समस्त अभियन्त्रण विभागों को द्वारा प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी।
6. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अधीक्षण / अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग–2 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
11. लोक निर्माण अनुभाग–1 / 3, उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

~~पृष्ठांकन पत्र संख्या / दिनांक /06/2017~~

~~प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं शासकीय पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु अपने अधीनस्थ वृत्तीय / खण्डीय कार्यालयों को अवगत कराने हेतु प्रेषित!-~~

~~1- मुख्य अभियन्ता स्तर-1/II लोक निर्माण विभाग, पौड़ी / अल्मोड़ा / देहरादून / हल्द्वानी / टिहरी / विकासनगर / रा० मा० देहरादून / हल्द्वानी / पी० एम० जी० एस० वाई० अल्मोड़ा / देहरादून / पी० एम० यू० / ए० डी० बी० देहरादून~~

P.T.O

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ० पत्र संख्या – 885 /164सा०प्र०/17 दिनांक 13/06/2017

प्रतिलिपि:- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर-1/II लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा/देहरादून/हल्द्वानी/टिहरी/विश्वासनगर/रा०मा० देहरादून/हल्द्वानी/जी० एन० जी० एफ० वाहि० अल्मोड़ा/देहरादून/पी०एम०जी० एस० वाई० देहरादून को सूचनार्थ एवं शासकीय पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ वृत्तीय/खण्डीय कार्यालयों को अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 13/6/17

(हस्ताक्षर) 13/6/17